भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009

(2009 का संख्यांक 1)

सं0 301–25/2009–ईआर – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) उप–खंड (i) के साथ पठित उक्त धारा के उप–खंड (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्ः–

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 कहा जाएगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 2009 को प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में, खण्ड 3 में, ''अनुसूची I से XI'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''अनुसूची I से XII'' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची XI के पश्चात, निम्न अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"अनुसूची XII
(खंड 3 देखें)

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 8) के विनियम 7 के उप–विनियम 4 में निर्दिष्ट मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए टैरिफ

मद	टैरिफ
1. सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को संदेय पोर्टिंग प्रभार	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) के विनियम 3 में सीलिंग के रूप में निर्दिष्ट प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार.

[साधना दीक्षित]
प्रधान सलाहकार (ईआर)

टिप्पणी 1 – दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:–

संशोधन संख्या	**अधिसूचना संख्या और तारीख**
पहला	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999

5वां	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301–8 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301–8 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301–8 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306–1 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310–1(5) / ट्राई–2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301–9 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303–4 / ट्राई–2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306–2 / ट्राई–2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310–1(5) / ट्राई–2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310–5(17) / 2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301 / 2 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303 / 3 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303 / 3 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312–7 / 2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301–6 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312–5 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303 / 8 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303 / 6 / 2003–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301–51 / 2003–आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301–56 / 2003–आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301–4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301–2 / 2004–आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301–37 / 2004–आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301–31 / 2004–आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 2.6.2005

39वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301–34/2005–आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301–2/2006–आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301–34/2006–आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301–18/2007–आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301–36/2007–आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301–14/2008–आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301–31/2007–आर्थिक दिनांक 01.9.2008

टिप्पणी 2 – व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (उनतालीसवां संशोधन) आदेश, 2009 के लिए उददेश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों को उस समय अपना विद्यमान मोबाइल टेलीफोन नम्बर बनाए रखने में समर्थ बनाती है, जब वे मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में किसी एक मोबाइल सेल्युलर प्रौद्योगिकी से उसी एक्सेस सेवा प्रदाता की किसी अन्य प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं।

2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 (2009 का 8) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा प्राप्त करने वाले सब्सक्राइबर को पोर्टिंग प्रभार, यदि कोई है, का भुगतान करना होगा। पोर्टिंग प्रभार से अभिप्रेत है ऐसा प्रभार जो किसी प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा किसी सब्सक्राइबर से उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए उद्ग्रहित किया जाए।

3. इस संबंध में, प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) के माध्यम से प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का निर्धारण करते समय यह निर्णय लिया है कि सेवा प्रदाताओं को उनके नेटवर्कों को एमएनपी के अनुकूल बनाने हेतु उनका उन्नयन करने के लिए तथा साथ ही दाता प्रचालक को पोर्टिंग अनुराध के प्रक्रमण में उपगत प्रशासनिक लागत के लिए भी कोई प्रतिपूर्ति संदेय नहीं होगी क्योंकि एमएनपी में दाता प्रचालक के लिए किसी उल्लेखनीय कार्य का क्रियान्वयन करना अपेक्षित नहीं है।

4. इसी प्रकार, जब कोई सब्सक्राइबर अपना मोबाइल नम्बर पोर्ट करने का अनुरोध करता है, तो जहां तक प्राप्तकर्ता प्रचालक का संबंध है, यह एक नए सब्सक्राइबर को अर्जित करने के समान है और इस प्रकार प्राप्तकर्ता प्रचालक एमएनपी प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं करता है सिवाए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के, जोकि पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए एमएमपीएसपी को संदेय है। इसके अतिरिक्त, एमएनपी प्राप्तकर्ता प्रचालक को अधिक सब्सक्राइबर अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। अतः प्राधिकरण ने प्राप्तकर्ता प्रचालक को उस राशि की एवज में, जो इसे प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के रूप में एमएनपीएसपी को अदा करनी पड़ती है, सब्सक्राइबर से कोई अतिरिक्त राशि प्रभारित करने का कोई औचित्य नहीं पाया है। तदनुसार, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार पोर्टिंग प्रभार की सीलिंग होगा। तथापि, यह विकल्प प्राप्तकर्ता प्रचालक के लिए खुला रहेगा कि वह पोर्टिंग अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर से, अपने विवेक के अनुसार, कम राशि संग्रहित कर सकता है।